"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 532]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2017—— अग्रहायण 15, शक 1939

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-55/गृह-दो/2017. — छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इस नियमावली को छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 कहा जायेगा ।

    (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2. **सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना :-** (1) छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की स्थिति में प्राप्त परिसम्पत्ति के अन्तर्गत गृह विभाग को सड़क सुरक्षा कोष के लिए प्राप्त धन सड़क सुरक्षा कोष कहलायेगा ।

    (2) पुलिस द्वारा मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत वसूल किये गये शमन शुल्क के 100 प्रतिशत राशि सड़क सुरक्षा कोष में जमा होगी ।

    (3) पुलिस विभाग द्वारा कोई राशि निधि में सीधे जमा न करते हुये वर्तमान प्रक्रिया अनुसार उपयुक्त मद मे ही जमा की जाती रहेगी । तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष उसके पूर्व वित्तीय वर्ष में जमा की गई राशि की समतुल्य राशि की 100 प्रतिशत राज्य की संचित निधि से उक्त निधि जो संचित निधि के अंतर्गत निर्मित निधि होगी, को हस्तांतरित की जावेगी ।

    (4) यदि कोई वित्तीय अंशदान छत्तीसगढ़ सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा कोष में किया जाता है, तो वह भी इस कोष में जमा कराया जायेगा ।

    (5) कोष की स्थापना शीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा - सड़क सुरक्षा कोष के रूप में की जावेगी तथा राज्य की संचित निधि से इस निधि में हस्तांतरित राशि में से समय-समय पर बची हुई राशि में आहरण की स्वीकृति दी जावेगी ।

3. **कोष के उपयोग के संबंध में** :— कोष के उपयोग के संबंध में प्रस्ताव का निर्धारण कोष प्रबंधन समिति के द्वारा किया जावेगा। इस कोष में जमा धनराशि का उपयोग सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं, हेतु किया जावेगा :—

(1) समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और नगरीय मार्गों पर वाहनों के सुरक्षित संचरण एवं मार्ग उपभोक्ताओं के सुरक्षित संचालन हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाना।

(2) सड़क दुर्घटना के रोकथाम के उपाय करना, आंकड़े एकत्रित करना और उनका सामयिक विश्लेषण करना।

(3) यातायात नियमों की जानकारी देना एवं जनसामान्य में इस हेतु जागरूकता पैदा करना।

(4) सड़क दुर्घटनाओं के प्रवर्तन और नियंत्रण हेतु संयंत्रों की व्यवस्था करना।

(5) यातायात को सुगम एवं सुरक्षित बनाने हेतु आवश्यक उपाय करना। यातायात उपकरणों का क्रय एवं उनका रखरखाव।

(6) यातायात नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों, दूरसंचार उपकरण, CCTV आदि का क्रय एवं रख रखाव।

(7) सड़क सुरक्षा संबंधी अन्य कोई सूचना प्राद्योगिकी आधारित अथवा यांत्रिकी उपाय/कार्य जो समिति द्वारा उचित समझा जावे।

(8) आम जनता, वाहन चालकों, विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों आदि के लिये सुरक्षित यातायात हेतु जागरूकता, प्रचार प्रसार तथा प्रशिक्षण कार्यकमों एवं सेमीनार, कार्यशाला इत्यादि का आयोजित करना।

(9) सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति किया जाना,

(10) दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु एम्बुलेंस तथा अन्य उपकरणों आदि की व्यवस्था।

(11) सड़क दुर्घटना के कारणों का अध्ययन करने के पश्चात उनको सही करने/सुधार करने के उपाय निकालना तथा दुर्घटना बाहुल्य स्थानों का चिन्हांकन एवं सुधार करना।

(12) ड्राईविंग लाईसेंस प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ।

(13) व्यावसायिक वाहनों की स्वस्थता जांच हेतु परिवहन कार्यालयों में समुचित व्यवस्था करना।

4. **परिभाषायें** :– जब तक किसी सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(1) ''कोष'' का तात्पर्य ''छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा कोष'' से है।

(2) ''अधिनियम'' का तात्पर्य ''मोटरयान अधिनियम, 1988'' से है।

(3) ''राज्य'' का तात्पर्य ''छत्तीसगढ़ राज्य'' से है।

5. **कोष के स्त्रोत** :– (1) पुलिस विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रशमन शुल्क से प्राप्त सकल धनराशि समेकित निधि के लेखाशीर्ष ''0041–वाहन कर–800–अन्य प्रप्तियॉ के अंतर्गत 0766–समन शुल्क के अंतर्गत वसूली गई धनराशि।
(2) छ0ग0 शासन अथवा भारत शासन से प्राप्त वित्तीय अंशदान ।

6. **प्रादेशिक सीमा** :– ऐसे कार्य जो इस नियमावली के अधीन अनुमन्य हैं, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में किये जा सकेंगे।

7. **कोष की प्रबन्धन समिति** :– इस कोष के लिये गृह विभाग प्रशासनिक विभाग होगा और यह कोष निम्नवत् गठित समिति द्वारा संचालित किया जायेगा –
(i) पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़।
(ii) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात), पुलिस मुख्यालय, छ.ग.
(iii) अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़
(iv) सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात), पुलिस मुख्यालय, छ.ग.
(v) प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़
(vi) संचालक लोक सवास्थ सेवाएँ, छत्तीसगढ़
(vii) संचालक स्कूल शिक्षा सेवाएँ, छत्तीसगढ़
(viii) संचालक शहरी विकास अभिकरण, छ.ग.
(ix) आयुक्त उच्च शिक्षा, छ.ग.

8. **कोष की प्रबन्धन समिति के अधिकार और कर्त्तव्य** :– (1) समिति इस कोष से वित्त पोषित योजनाओं का चयन और उनका अनुमोदन करेगी।
(2) समिति स्वीकृत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करेगी।
(3) समिति नियमावली के अनुसार कोष के लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करेगी।

9. कोष से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं की शर्तें :— कोष से वित्त पोषित होने वाली होने वाली योजनाओं की शर्ते निम्नवत् होंगी —

(1) योजनाओं का चयन केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) कोष की धनराशि से केवल ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाएगा, जिन्हें केवल एक बार में ही पूरा किया जा सके।

(3) कोष से सम्बधित किसी भी धन राशि का विनिधान किसी भी दशा में ब्याज अर्जित करने के लिये सावधि जमा योजना में रखने अथवा ऋण पर देने के उद्देश्य से नहीं किया जायेगा।

(4) कोष से स्वीकृत की गई धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है।

10. कोष की प्रबन्धनसमिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रकिया :—

(1) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात), सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रस्ताव एवं योजनाओं का परीक्षण कर उन्हें कोष प्रबन्धन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

(2) कोष प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तावों/परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिये जाने के उपरान्त वित्त पोषण के लिये औपचारिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ गृह विभाग द्वारा निर्गत की जाएगी ।

11. कोष वित्त पोषित योजनाओं के कियान्वयन का उत्तरदायित्व :—

(1) योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों का समन्वय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) द्वारा किया जाएगा। कोष से वित्त पोषित उपयोगी उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत आदि का सही–सही कियान्वयन कराने व नियमित अनुश्रवण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा ।

(2) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अपने अपने अधिकार क्षेत्र में योजनाओं के सफल् कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। वे योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करेंगे। योजनाओं के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र निर्गत करने का उत्तरदायित्व सम्बधित विभाग के वरिष्ठतम जिला स्तरीय अधिकारी का होगा ।

12. **कोष का अनुरक्षण और सम्परीक्षा :–** **(1)** पुलिस मुख्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ वित्तीय हस्त–पुस्तिका के प्रावधानों एवं कोषगार नियमों के अनुसार कोष से उपगत व्यय का उचित लेखा–जोखा रखा जाएगा तथा उसका पुनर्मिलान कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर के अभिलेखों से किया जाएगा। वार्षिक लेखाबन्दी से पूर्व पुनर्मिलान कार्य सम्पादित किये जाने के साथ ही समायोजनों से सम्बन्धित आदेश समसामयिक रुप से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ रायपुर को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(2) कोष में अन्तरित धनराशि में से वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष/अनुपयोगित धन का राज्य के समेकित कोष में समर्पण के सम्बन्ध में यह व्यवस्था होगी कि राजस्व लेखे से लोक लेखे की जो धनराशि अन्तरित की जायेगी, उस धनराशि से नियमानुसार व्यय किया जायेगा । अनुपयोगी होने की दशा में वह धनराशि कोष में बची रहेगी। ऐसी धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित नहीं किया जायेगा ।

(3) कोष की धनराशि को परियोजना में विनिवेश नही किया जायेगा।

(4) इस लेखा की सम्परीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा की जायेगी।

(5) कोष से आय तथा कोष से किये गये व्यय का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य सरकार को समय समय पर एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा ।

(6) कोष में छत्तीसगढ़ शासन से बजट के माध्यम से प्राप्त आबंटित धनराशि वित्तीय वर्ष में निर्धारित कार्यों/मदों में वित्तीय वर्ष के अन्त खर्च नहीं की जा सकी हैं, तब अवशेष धनराशि का समर्पण निश्चित अवधि के भीतर लेखाशीर्ष में किया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित सूचना कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ रायपुर को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(7) यदि नियमावली में कोई उपान्तर/परिर्वतन/संशोधन करने पर तदाशय की सूचना महालेखाकार, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. डी. गौतम, सचिव.

Naya Raipur, the 6th December 2017

NOTIFICATION

No. F 2-55/Two-Home/2017.— Chhattisgarh Road Safety Fund Rules, 2017 :-

Chhattisgarh Road Safety Fund Rules, 2017

Short title and commencement	1	(1) This manual shall be called Chhattisgarh Road Safety Fund Rules, 2017. (2) It shall come into force from the date of publication in the Gazette.
Establishment of Road Safety Fund	2	1. The amount received by the Home Department for Road Safety Fund from the assets received at the time of formation of the state of Chhattisgarh shall be called Road Safety Fund. 2. 100 percent amount of compounding fee levied by Police department under MV Act shall be deposited into the Road Safety Fund. 3. The Police department shall not deposit and any amount in the fund directly and shall deposit the amount as per existing process under appropriate head. Thereafter each year the amount equivalent to 100 percent amount deposited in the previous financial year shall be transferred from the Consolidated Fund of the State into the said Fund established under the Public Account. 4. If any financial grant is made into the Fund by the Government of India or Government of Chhattisgarh, it shall also be deposited in this Fund.
Regarding the Use of Fund	3	The decision on proposal for use of the Fund shall be made by the Fund Management Committee. The amount deposited in the Fund shall be used for road safety related works which include the following :- (1) Take all necessary steps for safe operation of road users and vehicles on all NH, SH and Urban roads. (2) Take measures for prevention of road accidents, collection and appropriate analysis of data. (3) Give information about traffic rules and create awareness in general public regarding these. (4) Make arrangement of equipments for enforcement and control of road accidents.

		(5) Take necessary steps to make traffic smooth and safe. Procurement and maintenance of traffic equipments. (6) Procurement and maintenance of different types of vehicles, telecommunication equipments, CCTV etc for control of traffic. (7) Any other IT based or mechanical work/solution related to road safety as deemed appropriate by the Committee. (8) Organize publicity, training programs and seminars, workshop etc for awareness about safe traffic for general public, vehicle drivers and police officers and staffs etc of different levels. (9) Reimburse the expenditure incurred on bringing to hospitals the persons injured in road accidents. (10) Arrange ambulances and other equipments for providing quick medical assistance to persons injured in road accidents. (11) Take measures to improve/ rectify the causes of road accidents after study and identify and rectify accident prone spots. (12) Make necessary arrangements for strengthening driving license system. (13) Make suitable arrangements in transport offices for testing fitness of commercial vehicles.
Definitions	4	Unless otherwise expected in any reference, in these rules :- • Fund means Chhattisgarh Road Safety Fund. • Act means MV Act 1988 • State means State of Chhattisgarh.
Sources of the Fund	5	(1) The entire amount collected by Police department through compromising fee under MV Act 1988 under head 0041- tax on vehicle 800- other receipts 0761-compounding fee 103- receipt under fine. 0301- amount collected by transport department 0302- Amount collected by police department (Traffic police/Civil police). (2) Financial grants received from Government of Chhattisgarh or Government of India.
Territorial Limit	6	Such works as permissible under these rules can be done in entire Chhattisgarh.
Fund Management Committee	7	(1) The Home Department shall be the administrative department for this Fund and this Fund shall be managed by the Committee constituted as under :- (i) Director General of Police, Chhattisgarh- Chairman (ii) Additional Director General of Police (Traffic), Police Headquarter, Chhattisgarh-Secretary (iii) Additional Transport Commissioner, Chhattisgarh- Joint Secretary (iv) Assistant Inspector General (Traffic), Police Headquarter, Chhattisgarh-Member (v) Chief Engineer, Public Works Department, Chhattisgarh- Member

		(vi) Director, Public Health Services, Chhattisgarh- Member (vii) Director, School Education Services, Chhattisgarh-Member (viii) Director, Urban Development Authority, Chhattisgarh-Member (ix) Director, Higher Education, Chhattisgarh- Member
Powers and Functions of the Fund Management Committee	8	(1) The Committee shall select and approve the projects funded by this Fund. (2) The Committee shall monitor the physical and financial progress of the approved projects. (3) The Committee shall ensure maintenance of account of the Fund as per rules.
Conditions for the projects funded by the Fund	9	The conditions for the projects funded by the Fund shall be as under :- (1) The selection of the projects shall be in accordance with the standard prescribed from the time to time by state or central government (2) Only such projects/ plans shall be funded from the fund that can be completed in only one time. (3) Salary of the general personnel of the road safety cell and the establishment/office expenditure shall be made from the fund after approval by fund Management Committee. (4) No amount related to the Fund shall be invested under any circumstances for earning interest through fixed deposit scheme or by giving loans. (5) The amount sanctioned from the Fund shall be utilized only for the purpose for which it has been sanctioned.
Procedure for Submission of Proposals to Fund Management Committee	10	(1) Additional Director General of Police (Traffic), after examining the proposals and schemes relate to road safety will submit it for consideration of the Fund Management Committee. (2) After the approval of proposals/projects by the Fund Management Committee, formal administrative and financial sanction for funding will be issued by the Home Department.
Responsibility for Execution of Schemes Financed by the Fund	11	(1) The coordination of necessary actions related to the successful implementation of schemes will be coordinated by the Additional Director General of Police (Traffic). The Head of the concerned department will be responsible for the proper implementation and regular supervision of the construction, suitable maintenance and repair etc of equipments purchased from the Fund. (2) The concerned Head of the department shall be responsible for the implementation of the schemes in their respective jurisdiction. They will supervise, monitor and review financial and physical progress of the schemes. The responsibility of issuing the certificate of completion of the schemes will be of the senior most district level officer of the concerned department.
Audit and Maintenance of	12	(1) The Police Head Quarter shall keep suitable records of the expenditure incurred from the Fund as per the provisions of the

Records of the Fund		Rule of Chhattisgarh Financial Code and the Treasury Code and this will be reconciled with the records of the Accountant General (Accounts and Entitlement) Chhattisgarh, Raipur. Before the closure of yearly accounts, the reconciliation will be done and the orders relate to the adjustments will be made available to the office of the Account and General (A&E) Chhattisgarh, Raipur. (2) The arrangement for surrender of the amount balance/unused at end of the financial year into the Consolidated Fund of the State from the amount made available in the Fund will be such that the amount made available from the revenue account to public account will be used as per rules and the amount unused will remain with the Fund. This amount will not be surrendered the end of the financial year. (3) No amount of the Fund will be invested in the project. (4) The audit of this account will be done by the Accountant General (Audit) Chhattisgarh, Raipur. (5) A detailed statement of the expenditure incurred from the Fund and income from the Fund will be made available to the State Government from time to time and on as required basis by the Police Head Quarters. (6) The amount received from the allotment through the budget from Chhattisgarh Government in the Fund that has not been used at the end of financial year in the prescribed works/items for the financial year will be surrendered within stipulated time in the account head and the information related to it shall be made available to the Accountant General (Account and Entitlements) Chhattisgarh, Raipur. (7) If any modification/change/amendment is required to be done in the rules, it will be done with the prior consent of the Accountant General (Audit) Chhattisgarh, Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. D. GAUTAM, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.